In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR–V

EX–02/2020

विशेश्वर प्रसाद ठाकुर बनाम अभय कुमार सिंह वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
21-08-2025	डिक्रीदार की ओर से दिनांक–13.05.2022 को सर्वे अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु एक आवेदन दाखिल किया है। वादी का संक्षेप में कहना है कि डिक्रीदार के पक्ष में दिनांक–16.11.2021 को न्यायालय द्वारा विक्रय विलेख का निष्पादित हो चुका है। वर्तमान में न्यायालय के प्रोसेस से प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस बल (महिला आरक्षी) सहित की उपस्थिति में दखल दहानी मिलना अभी बाकी है। डिक्रीदार के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में दर्ज चौहदी के साथ्ज्ञ रकबा सहित भू–भाग का नाप–जोखकर डिक्रीदार को दखल दहानी मिलने पर मदीउनान द्वारा भविष्य में आपत्ति की संभावना न हो वैसी स्थिति में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति डिक्रीदार के खर्च पर होना न्यायोचित है। अतः निवेदन किया गया है कि डिक्रीदार के खर्च पर सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया जाए। जजमेंट डेटर के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा मौखिक रूप से कहे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। दानों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा डिक्रीदार के पक्ष में बयनामा तहरीर की गयी है। बयनामा में दर्ज चौहद्दी के अनुरूप डिक्रीदार को दखल कब्जा न्यायालय द्वारा दिलाई जानी है। इसलिए सर्वे जानकारी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति होना निहायत जरूरी है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के मनोनयन हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर (आरा) को पत्र निर्गत करें। वास्ते दिनांक–04.09.2025 सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	

In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR–V

EX–02/2020

विशेश्वर प्रसाद ठाकुर बनाम अभय कुमार सिंह वगैरह